अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ

वाद सं0–9/2022

बासुदेव रविदास —बनाम्— मूलो रविदास

आदेश

08.03.22 थाना प्रभारी, गावां के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया।

प्रथम पक्ष की ओर से खतियानी वादग्रस्त भूमि पर दखलकार रहने का उल्लेख कर बनावटी कागजात के आधार पर द्वितीय पक्ष द्वारा जबरन दखल करने को प्रयासरत रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया एवं कार्यवाही को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–145 के तहत परिवर्त्तित करने का अनुरोध कया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से अपने पूर्वजों द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्वजों से वर्ष 1979 में खरीदगी के तहत प्राप्त भूमि पर निर्माण सहित दखलकार रहने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य होने का तथ्य प्रस्तुत कर जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत'पक्ष तथा प्रतिवेदन के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि को लेकर स्वत्व वाद सं0–114/2011 विचाराधीन रहने संबंधी उजागर वास्तविकता के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8/3/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

लेखापित एवं संशोधित
8/3/22
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:24:55 +05:30
Location: 192.168.1.3